मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2010 (फाल्गुन 17, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री नानाजी देशमुख, सुप्रसिद्ध समाज सेवक

(2) श्री लाल राजेन्द्र सिंह बघेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा ;तथा

(3) श्री छत्रपति सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का चतुर्थ वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा छात्रों के लिये किट खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामकिशोर (नानो) कावरे, भगत सिंह नेताम, सदस्य, बालाघाट जिले के रामपायली पुलिस अभिरक्षा से कुख्यात आरोपी फरार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के क्रमशः नियम 221 के उपनियम (3), नियम 223 के उपनियम (1) तथा नियम 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2010-2011 की अवधि के लिए लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह-ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये सदस्यों का निर्वाचन

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2010-2011 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

7. वर्ष 2010-2011 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 7 मार्च, 2010